

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्गत कैलेण्डर वर्ष 2026 में निहित निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी, लखीमपुर- खीरी से स्थानीय अवकाश घोषित किये जाने के सम्बन्ध में सहमति/असहमति प्राप्त करने हेतु पत्रांक संख्या-G.D.B.-38/XV-06-2025, दिनांक-07.01.2026 प्रेषित किया गया। जिलाधिकारी, लखीमपुर-खीरी के पत्र संख्या- 742/नौ-सी०एफ०-59-70/विविध/2026/सा०लि० दिनांक: 08.01.2026 द्वारा अवगत कराया गया है, कि वर्ष 2026 हेतु जिला न्यायालय, लखीमपुर-खीरी में पाँच स्थानीय अवकाश क्रमशः दिनांक-15.01.2026 (मकर संक्रान्ति), 26.08.2026 (बारावफात/ईद-ए-मिलाद), 28.08.2026 (रक्षा बन्धन), 19.10.2026 (शारदीय नवरात्रि महानवमी) एवं 11.11.2026 (भाईदूज), दिवस घोषित किये जाने निमित्त मेरे स्तर से कोई आपत्ति नहीं है।

जिला अधिवक्ता संघ, लखीमपुर-खीरी के पत्रांक 602/2025-26; दिनांकित 07.01.2026 द्वारा दिनांक 15.01.2026 मकर संक्रान्ति-बृहस्पतिवार का स्थानीय अवकाश घोषित करने का अनुरोध किया गया है।

अतः जनपद न्यायालय लखीमपुर- खीरी में वर्ष 2026 हेतु निम्नलिखित तिथियों पर स्थानीय अवकाश घोषित किये जाते हैं।

क्र. सं.	दिनांक	उपलक्ष्य	दिन	टिप्पणी
स्थानीय अवकाश				
1.	15.01.2026	मकर संक्रान्ति	बृहस्पतिवार	-----
2.	26.08.2026	बारावफात/ईद-ए-मिलाद	बुधवार	-----
3.	28.08.2026	रक्षा बन्धन	शुक्रवार	-----
4.	19.10.2026	शारदीय नवरात्रि महानवमी	सोमवार	
5.	11.11.2026	भाई दूज	बुधवार	

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत कैलेण्डर वर्ष-2026 में दिनांक 15.02.2026 दिन रविवार को महाशिवरात्रि अवकाश एवं दिनांक 08.11.2026 दिन रविवार को दीपावली अवकाश उल्लिखित है। कैलेण्डर वर्ष-2026 के बिन्दु संख्या-7 में दिये गये निर्देशों के अनुसार किसी राष्ट्रीय अवकाश या अन्य अवकाश के रविवार या द्वितीय शनिवार को पड़ने पर उसके स्थान पर अतिरिक्त दिवस अवकाश घोषित किये जाने का प्रावधान है।

अतः दिनांक 15.02.2026 दिन रविवार को महाशिवरात्रि अवकाश एवं दीपावली अवकाश दिनांक 08.11.2026 को दिन रविवार पड़ने के कारण उसके स्थान पर निम्न तिथियों में अतिरिक्त दिवस अवकाश घोषित किया जाता है-

अतिरिक्त दिवस अवकाश				
1.	05-03-2026	होली मिलन	बृहस्पतिवार	दिनांक 15-02-2026 महाशिवरात्रि का अवकाश, रविवार को होने के कारण
2.	10-11-2026	गोवर्धन पूजा/अन्नकूट	मंगलवार	दिनांक 08-11-2026 दीपावली का अवकाश, रविवार को होने के कारण

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत कैलेण्डर वर्ष 2026 के बिन्दु संख्या-10 में दिये गये निर्देशानुसार वर्ष 2026 में दिनांक 28.03.2026 (चतुर्थ शनिवार) एवं दिनांक 25.04.2026 (चतुर्थ शनिवार) न्यायिक कार्य सम्पादित किये जाने हेतु पूर्ण कार्य दिवस रहेंगे। अतः उपरोक्त 02 चतुर्थ शनिवार, न्यायिक अधिकारियों के लिये अवकाश दिवस न होकर पूर्ण कार्य दिवस रहेंगे व उनके द्वारा न्यायिक कार्य विधिवत सम्पादित किया जायेगा। उपरोक्त दिवसों में समस्त न्यायालय/कार्यालय पूर्णतः न्यायिक कार्य सम्पादित किये जाने हेतु विधिवत खुलेंगे।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत कैलेण्डर वर्ष 2026 के बिन्दु संख्या-01 के अनुसार तारांकित तिथियों के अवकाश, चंद्र दर्शन के अनुसार पुनः निर्धारित किये जा सकते हैं।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को सूचना सादर प्रेषित की जावे एवं समस्त सम्बन्धित को सूचित किया जाये।

(शिव कुमार सिंह),

जनपद न्यायाधीश,

लखीमपुर- खीरी

आदेश संख्या: ०३ /पन्द्रह-6-2026,

दिनांक: मार्च 16, 2026

जनपद न्यायालय, लखीमपुर-खीरी में आदेश सं०-02/XV-6-2026 दिनांकित-14.01. 2026 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या-486/Admin.(E-I) Section/XC-4/2026/ Dated: Allahabad:13.01.2026 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 15.01.2026 का पूर्व घोषित स्थानीय अवकाश निरस्त किया जा चुका है।

अतः उपरोक्त निरस्त स्थानीय अवकाश दिनांक 15.01.2026 दिन बृहस्पतिवार के स्थान पर दिनांक 13.04.2026 दिन सोमवार को वरूथिनी एकादशी के उपलक्ष्य में स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है।

आदेश की सूचना माननीय उच्च न्यायालय को सादर प्रेषित की जाये तथा सिस्टम अधिकारी जनपद न्यायालय की अधिकारिक वेबसाइट पर उपरोक्त सम्बन्ध में सूचना अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।

समस्त सम्बन्धित को सूचित किया जाये।


जनपद न्यायाधीश,
लखीमपुर खीरी।
16.03.2026